कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–उनि/सशि/एसआईक्यूई/2015-16/65 दिनांक 01.05.2015

समस्त मण्डल उपनिदेशक–माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं
जिला परियोजना समन्वय–माध्यमिक
समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
आरएमएसए।

विषयः–एस.आई.क्यू.ई. परियोजना के संचालन हेतु गाइड लाईन।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के पत्र–रामाशिप/जय/एसआईक्यूई/फा 60703/2015/11536 दिनांक 30.4.2015 द्वारा विषयान्तर्गत सलंग्न अनुसार गाईड लाईन जारी की जाती है।

उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विभागीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि गाईड लाईन की अपने क्षेत्र में कियाविन्ति सुनिश्चित की जावे। उचित होगा कि दिनांक 6.5.2015 को जिला स्तर पर आयोजित समस्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला में भी इस बाबत जानकारी उपलब्ध करवायी जावे।

जारी की गयी गाईड लाईन विभागीय वैब साईट http:// WWW.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है।

सलंग्नः–1.गाईड लाईन–07 पृष्ठ
2. बिन्दु सं.2 के अनुसार(07 पृष्ठ)

(सुवालाल)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव–माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक–आयुक्त , रामाशिप–जयपुर।
3. निजी सहायक–आयुक्त, राप्रशिप–जयपुर।
4. निजी सहायक–निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
5. निदेशक, एस.आई.ई.आर. टी. उदयपुर।
6. यूनीसेफ, जयपुर।
7. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग , कार्यालय हाजा को विभागीय वैब साईट पर अपलोड कार्यवाही हेतु।
9. कार्यालय प्रति।

उप निदेशक एवं नोडल प्रभारी
(समाज शिक्षा)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :– उनि/सशि/SIQE/डीसीजी/2015–16/66 दिनांक 01.05.2015

State Initiative for Quality Education : (SIQE)

कार्यक्रम के संचालन हेतु दिशा – निर्देश

राज्य में संचालित, समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 एवं कक्षा 1 से 12 तक) में कक्षा 1 से 5 तक में, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से,"स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन' परियोजना प्रारम्भ की गयी है।

1. परियोजना के उद्देश्य :–

1.1 राज्य के समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10 एवं 1 से 12) में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना।

1.2 बाल केन्द्रित शिक्षण विधा (Child Centered Pedagogy)तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि को सुनिश्चित करना।

1.3 प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की Transition Rate में उच्चतम स्तर तक सुधार लाना।

1.4 विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में नामांकित सभी विद्यार्थियों का, उनकी आयु व कक्षा के अनुरूप, शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना।

1.5 विद्यालयों में बाल केंद्रित शिक्षण विधा के क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों का क्षमतावर्धन करना।

1.6 विद्यालय प्राचार्य एवं प्रभारी प्रराम्भिक शिक्षा को अकादमिक सहयोग कर्त्ता के रूप में तैयार करना।

1.7 जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादिमक समूहों को तैयार करना एवं क्षमता वर्धन करना।

2 परियोजना का संचालन –

परियोजना संचालन हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया है।

2.1 राज्य के शीर्ष निकाय के रूप में नीति निर्धारण के लिए **प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी**(Programme Steering Committee)
(समिति गठन आदेश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।)

2.2 परियोजना गतिविधियों की नियमित कियान्विति सुनिश्चित करने के लिए **राज्यकार्यकारी समूह**(State Working Group)
(समूह गठन आदेश परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।)

2.3 परियोजना के शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए **राज्य शैक्षिक समूह** (State Academic Group)
(समूह गठन आदेश परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।)

2.4 जिला स्तर परकार्यक्रम के क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग के लिये **जिला कोर ग्रुप**
(समूह गठन आदेश परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।)

3 परियोजना का क्रियान्वयन–

3.1 परियोजना का संचालन **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** द्वारा किया जायेगा।

3.2 शैक्षिक समर्थन, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर** के माध्यम से किया जायेगा।

3.3 समस्त अकादमिक कार्य एसआईईआरटी, उदयपुर, राजस्थान द्वारा किया जायेगा।

3.4 परियोजना का संचालन **यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के तकनीकी समर्थन** से किया जायेगा।

3.5 जिला स्तरीय संस्थानों को सहयोग देने के लिए यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से, प्रत्येक जिले पर जिला समर्थन अध्येता (District Support Fellow)उपलब्ध करवाया जाएगा। D.S.F. कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में मुख्य सलाहकार के रूप में समर्थन प्रदान करेगा।

4 परियोजना संचालन हेतु दिशा निर्देश –

ये दिशा निर्देश **'एसआईक्यूई निर्देश ' के** नाम से जाने जायेगें तथा शैक्षिक सत्र 2015–16 से प्रभावी होगें

4.1 जिला कोर ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह आवश्यक रूप से की जाये।

4.2 SIQEपरियोजना के लिए मार्गदर्शिका, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन विधा/ नियमावली आवश्यक अभिलेख संधारण प्रपत्रों का प्रकाशन जिला स्तर पर किया जायेगा। अतः समस्त सामग्री सत्रारम्भ के पूर्व ही विद्यालयों में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य एवं अभिलेख संधारण परियोजना के दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जाये।

4.4 शिक्षकों हेतु निर्देशः–

4.4.1 कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को चार टर्मों में विभक्त किया गया।

4.4.2 शिक्षण–सत्र को 2 माह 15 दिनों के **चार टर्म** में विभाजित किया गया है। **प्रथम–टर्म**; जुलाई से 15 सितम्बर तक तथा **द्वितीय–टर्म**; 16 सितम्बर से 30

नवम्बर तक निर्धारित किया गया है। **तीसरी** टर्म 1 दिसम्बर से 15 फरवरी व **चौथी टर्म** 16 फरवरी से 30 अप्रेल तक निर्धारित की है।

4.4.3 प्रत्येक टर्म अधिगम लक्ष्य आगे **चार भागों/खण्डों** में विभाजित हैं; प्रत्येक भाग पर कार्य करने के लिए लगभग 2 माह व 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। अपेक्षा यह है कि ढ़ाई माह की अवधि में एक भाग को पूरा करने के लिए लगभग 55–60 कार्य–दिवस उपलब्ध हो सकेंगे।

4.4.4 यह टर्म अवधि एक तरह से एक योगात्मक आकलन की अवधि भी है। हर टर्म की समाप्ति के बाद एक योगात्मक आकलन करना होगा, जिसके बाद आगामी टर्म के उद्देश्य निर्धारित कर पहली की तरह ही कार्य करना होगा।

4.4.5 हर टर्म में दो बार रचनात्मक आकलन करना प्रस्तावित है। दो रचनात्मक आकलन व एक योगात्मक के बाद बच्चों के साथ टर्म में रही कमजोरी पर उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाना भी प्रस्तावित है।

4.4.6 शिक्षक योजनानुसार निर्धारित टर्म के भाग/खण्ड–एक पर शिक्षण करते हुए अवलोकन–अभिलेखन, चैकलिस्ट, पोर्टफोलियो, होमवर्क, कार्यपत्रक, बातचीत एवं प्रोजेक्ट गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम का **सतत आकलन** करें।

4.4.7 आकलन प्रक्रिया से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिणामों के बारे में निरंतर प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर बच्चों के समूहों/उपसमूहों के शिक्षण हेतु **पाक्षिक योजना** बनाए।

4.4.8 पाक्षिक योजनानुसार किए जाने वाले कार्य के दौरान किए गए आकलन के आधार पर **समीक्षा** करते हुए योजना में आवश्यकतानुसार मध्यवर्ती परिवर्तन करें। जिसे समीक्षा के साथ दर्ज़ किया जाना सुनिश्चित करें।

4.4.9 इस प्रक्रिया से कार्य करते हुए पाठ्यक्रम के प्रथम टर्म एक का कार्य दो माह में सम्पन्न किया जाए।

4.4.10 इस अवधि में किए गए सतत–आकलन के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के संबंध में **प्रथम योगात्मक मूल्यांकन** किया जाए।

4.4.11 सभी विद्यार्थियों के योगात्मक मूल्यांकन को दर्ज़ करने का कार्य **10 से 20 सितम्बर** के मध्य सुनिश्चित किया जाए।

4.4.12 इसी प्रकार आगामी 2 माह में टर्म दो पर कार्य करते हुए निर्धारित अवधि (20 से 30 नवंबर) में प्रत्येक विद्यार्थी का **द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन** दर्ज़ किया जाए।

4.4.13 टर्म के अन्त में दिए गए विषय विशेष के संदर्भ में उच्च स्तरीय कौशल/सूचकों को उसी अवधि के दौरान चैकलिस्ट में बच्चों की निरन्तर हो रही प्रगति के आधार पर दर्शाया जाए।

4.4.14 इस प्रक्रिया से पाँच माह की अवधि में कार्य सम्पन्न करते हुए दो योगात्मक मूल्यांकन सम्पन्न होंगे। इसी तरह आगामी पाँच माह में (दिसम्बर से अप्रैल तक) अगली दोनों टर्मों पर शिक्षण कार्य एवं सतत मूल्यांकन किया जाए।

4.4.15 **तृतीय योगात्मक मूल्यांकन 10 से 20 फरवरी एवं चतुर्थ योगात्मक मूल्यांकन 15 से 25 अप्रैल के मध्य किया जाएगा।**

4.4.16 बच्चों की प्रगति को फार्मेटिव एवं समेटिव फार्मेट में दर्ज करने के लिए ग्रेड दिया जाना तय किया गया है। इसका आधार इस प्रकार है :–

A–स्वतंत्र रूप से कर लेता है / आगामी स्तर पर

B–शिक्षक की मदद से कर पाता है/मध्यम स्तर

C–विशेष मदद की आवश्यकता है/आरम्भिक स्तर

4.4.17 शिक्षक प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार विद्यालय स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें और बैठक में अपने प्रश्नों, चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को लिखित में प्रधानाचार्य को अवगत कराएं।

4.4.18 प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार विषयवार कार्यशालाओं में भागीदारी सुनिश्चित करें।

4.4.19 पाठ्यक्रम, शिक्षण विधा, मूल्यांकन के तरीके और उपकरणों तथा सामग्री संधारण के संबंध में किसी भी प्रकार की समझ बनाने के लिए यथा शीघ्र सक्षम अधिकारी से सम्पर्क करें।

4.5 प्रधानाचार्य हेतु दिशा निर्देशः–

4.5.1 **विद्यालय स्तर पर प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था करना** – गुणवत्ता से संबंधित राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा 1 से 5 में एक शिक्षक एक विषय का ही अध्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करे।

4.5.2 **विद्यालय में गतिविधि आधारित कार्यक्रम तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया के अनुसार कक्षा प्रक्रिया को सुनिश्चित करना** – प्रधानाचार्य शिक्षकों का उत्साहवर्धन करे और उन्हें समय–समय पर बताते रहे कि विद्यालय प्रशासन उनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।

4.5.3 प्रधानाचार्य नियमित रूप से कक्षा–अवलोकन करे एवं प्रथमदृष्टया बच्चों की शैक्षिक प्रगति एवं शिक्षण प्रक्रिया को देखे।

4.5.4 अवलोकन के पश्चात् ही प्रधानाचार्य नियमित रूप से प्रत्येक कक्षा के शिक्षक से पृथक–पृथक एवं सामूहिक संवाद करे और यह समझे की कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया और बच्चों के शैक्षिक स्तर में प्रगति की क्या स्थिति है। शिक्षकों को कक्षा–कक्ष में कार्य करने के दौरान किस तरह की चुनौतियां महसूस हो रही है।

4.5.5 प्रधानाचार्य यहां स्पष्ट समझ लें कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया संचालित करने का अर्थ फॉर्मेट भरना नहीं है। बच्चों की शैक्षिक प्रगति प्रथम एवं अंतिम उद्देश्य है। अतः कक्षा अवलोकन में पहले कक्षा–कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का

वातावरण, बच्चों की भागीदारी तथा उनकी शैक्षिक प्रगति का अवलोकन करें और उसके बाद यह देखें की शिक्षक ने क्या तैयारी की थी? बच्चों की प्रगति को पाठ्यक्रम के अनुरूप सही दर्ज़ किया है? बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण योजना में बच्चों के शैक्षिक स्तर तथा पाठ्यस्तर के अनुरूप गतिविधियां शामिल की गई हैं?

4.5.6 प्रधानाचार्य प्रत्येक माह कम से कम एक बार कक्षा 1 से 5 में शिक्षण कराने वाले सभी शिक्षकों के साथ औपचारिक बैठक करें एवं कार्य प्रगति की समीक्षा करें।

4.5.7 शिक्षकों को शिक्षण कार्य के दौराना अनेक तरह की चुनौतियां आती हैं तथा प्रतिदिन नवीन अनुभव मिलते हैं अतः आवश्यक है कि शिक्षक को नियमित रूप से सहयोग एवं समीक्षा का अवसर मिले। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक शिक्षक प्रतिमाह होने वाली क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार मासिक कार्यशाला में भाग ले।

4.5.8 प्रधानाचार्य शिक्षकों से संवाद कर यह सुनिश्चित करे मासिक कार्यशाला में जाने वाले शिक्षक कार्यशाला के लिए तैयारी करके जाएं। इसके लिए शिक्षकों के पास अपने प्रश्न एवं अनुभव होने चाहिए। शिक्षक कार्यशाला में कम से कम दो या तीन बच्चों की संबंधित विषय की समस्त सामग्री लेकर जाए।

4.5.9 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे की कक्षा 1 से 5 तक गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री/स्टेशनरी शिक्षक के पास उपलब्ध है एवं उस सामग्री का समुचित उपयोग कक्षा में किया जा रहा है।

4.5.10 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि यदि उनके विद्यालय के कोई शिक्षक या शिक्षिका क्लस्टर स्तर पर होने वाली विषयवार कार्यशाला में दक्ष प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वो नियमित रूप से प्रशिक्षक का कार्य करने के लिए उपलब्ध हों तथा जब वो प्रशिक्षण के कार्य के लिए बाहर हों तो विद्यालय के अन्य शिक्षक उनकी कक्षाओं में शिक्षण का कार्य तय योजनानुसार करवा रहे हों।

4.5.11 प्रधानाचार्य शिक्षकों के प्रश्नों एवं चुनौतियों से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को समय–समय पर लिखित में अवगत कराए।

4.5.12 विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया के संचालन में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों के संबंध में जिला स्तरीय समन्वयन समिति को लिखित में अवगत कराना सुनिश्चित करे।

4.5.13 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि यदि उनके विद्यालय में किसी शिक्षक द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया का श्रेष्ठ संचालन किया जा रहा है एवं बच्चों का शैक्षिक स्तर पाठ्यक्रम

में दिए गए कक्षा स्तर के अनुरूप है तो उस शिक्षक के बारे में अधिक से अधिक विद्यालयों को जानकारी हो।

4.5.14 प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक उनके लिए दिए गए निर्देशों से भलीभांति परिचित हों।

4.6 सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) अपनी भूमिका का निर्वहन आवश्यक रूप से निर्धारित कलेंडर के अनुसार करें। डाइट हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एसआईईआरटी, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी किये जायेगें।

4.7 कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की जांच हेतु व्यवस्था निम्नानुसार होगी।

मूल्यांकन टर्म	कार्यक्रम विवरण	तिथि	उत्तरदायी इकाई	कार्य जिस अधिकारी / संस्था / व्यक्ति द्वारा किया जानाहै।
बेसलाइन	बेसलाइन	6से15 जुलाई 2015	विद्यालय	शिक्षक
	रिपोर्ट फीडिंग	15 से 20 जुलाई 2015	विद्यालय	शिक्षक एव संस्थाप्रधान
	रिपोर्ट का सत्यापन	20 से 25 जुलाई 2015	डाइट	डाइट में अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षक
	जिला स्तर पर डेटा फीडिंग	25 जुलाई से 5 अगस्त 2015	रा.मा.शि.प. जिला कार्यालय	अ.जि.प.स., रा.मा.शि.प., संबंधित जिला
मिडलाइन	मिड लाइन	नवम्बर 2015, (अर्द्धवार्षिक परीक्षा के साथ)	विद्यालय	शिक्षक
	रिपोर्ट फीडिग	दिसम्बर 2015,	विद्यालय	शिक्षक एवं संस्थाप्रधान
एण्ड लाइन	एण्ड लाइन	मार्च 2016 (वार्षिक परीक्षा के साथ)	स्थानीय विद्यालय	शिक्षक एवं संस्थाप्रधान
	रिपोर्ट फीडिंग	वार्षिक मूल्यांकन के साथ	विद्यालय	शिक्षक एव संस्थाप्रधान
	रिपोर्ट का सत्यापन	अप्रैल 2016	डाइट	डाइट में अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षक
अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट		दिसम्बर 2015	प्रत्येक स्तर पर	विद्यालय, जिला एवं राज्य स्तर
वार्षिक रिपोर्ट		मई 2016		विद्यालय, जिला एवं राज्य स्तर

4.8 कक्षा 1 से 5 तक समस्त विद्यार्थियों का बेसलाइन, मिडटर्म एवं एण्डलाइन मूल्यांकन तथा फीडिंग निर्धारित तिथियों पर किया जाये।

4.9 सत्र में दो बार बेसलाइन एवं एण्डलाइन मूल्यांकन का सत्यापन डाइट में अध्ययनरत एस.टी.सी के विद्यार्थी –शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। अतः जिला एवं विद्यालय स्तर पर इस सत्यापन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।

4.10 सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाप्रधान एवं प्राथमिक विंग के प्रभारी द्वारा सभी विद्यार्थियो के मासिक मूल्यांकन का सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाये तथा रिपोर्ट विद्यालय स्तर पर तैयार एवं संधारित की जाये।

4.11 बाल केन्द्रित शिक्षण (सीसीपी) तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पद्वति के अनुरूप कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का शिक्षण एवं मूल्याकंन पद्वति के सम्बन्ध में विस्तृत नियमावली/गाइड लाइन पृथक से जारी की जायेंगी।

4.12 परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों, संस्थाप्रधानो, प्रति विद्यालय एक शिक्षक (प्राथमिक विंग का प्रभारी/ शैक्षिक समर्थन देने के लिए योग्य एवं अनुभवी) तथाशिक्षकों हेतु समस्त प्रशिक्षण ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित किये जायेगें। प्रत्येक स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों में सम्बन्धित संभागियों की उपस्थिति अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाये।

4.13 विद्यालय स्तर पर फीडिंग का कार्य विद्यालय में उपलब्ध आईसीटी लैब में किया जाये। जिन विद्यालयों में आईसीटी कम्प्यूटर लेब उपलब्ध नही है वहा रिपोर्ट फीडिंग पर होने वाला आवश्यक व्यय निर्धारित सीमा तक विद्यालय अनुदान राशि/ छात्रकोष में से किया जाये।

4.14 सीसीई विधा के अनुरूप कक्षा–कक्ष गतिविधियों को बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित बनाने के लिए विद्यालय में सहायक शिक्षण सामग्री, कक्षा–कक्षा सौन्दर्यीकरण, पुस्तको आदि की व्यवस्था विद्यालय अनुदान राशि/विकास कोष/जनसहयोग आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाये। सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय अनुदान राशि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली, पुस्तकालय मद की राशि मे से, कुछ रोचक व सरल पुस्तके, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से क्रय की जाये तथा इनका उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4.15 विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी विद्यालय मे प्रतिमाह होने वाली अभिभावक बैठक में प्रदान की जाये साथ ही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अभिभावक को प्रेषित की जाये।

परियोजना के माध्यम से समस्त स्टेक होल्डर्स द्वारा अपनी समग्र भागीदारी के साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

16.4.15

15.4.2015

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांक – रमाशिप/जय/SIQE/फा- 60703 /2015/11381 दिनांक: 15 /04/2015

Encl. 1 Pg. 55,56

आदेश

राज्य के **समस्त समन्वित राजकीय उमावि./माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10/12** तक संचालित) मे कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन (SIQE) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त एस.आई.ई.आर.टी., यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के मध्य एक एम ओ यू** किया गया है। एम ओ यू के तहत नीति निर्धारण के उद्देश्य से एक परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे–

1.	आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	–	अध्यक्ष
2.	प्रतिनिधि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर	–	विशेष आमन्त्रित सदस्य
3.	अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्	–	परियोजना समन्वयक
4.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर	–	सदस्य सचिव
5.	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर	–	परियोजना परामर्शक
6.	प्रतिनिधि, यूनिसेफ	–	परियोजना परामर्शक
7.	निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर	–	परियोजना परामर्शक
8.	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (रोटेशन से कोई – 3)	–	आमंत्रित सदस्य

Programme Steering Committeeपरियोजना के लिए शीर्ष निकाय (Apex -Body) के रूप में कार्य करेगी। सम्बन्धित कमेटी –

- परियोजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना क्रियान्वयन की योजना का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना के सतत् एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही करेगी।
- परियोजना के क्रियान्वयन की राज्य कार्यकारी समूह एवं राज्य शैक्षिक समूह की रिपोर्ट एवं संस्तुतियों के आधार पर नियमित समीक्षा करेगी एवं योजना में आवश्यक बदलाव करने हेतु अधिकृत होगी।
- परियोजना परिचालन समिति के रूप में परियोजना के सुचारू एवं सफल संचालन के लिए आवश्यक उपसमितियों एवं कार्यसमूहों का समय–समय पर गठन करने हेतु अधिकृत होगी।
- परियोजना की समीक्षा कर परियोजना में आवश्यकतानुसार तकनीकी परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना की समीक्षा एवं परिणामों के आधार पर राज्य सरकार को नियमित रूप से सूचना देने के लिए अधिकृत होगी एवं एम ओ यू के सभी सहभागियों को राज्य सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराएगी।
- परियोजना की समीक्षा एवं प्रगति के आधार पर एम ओ यू की अवधि एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिकृत होगी।

- परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एम ओ यू में अन्य संस्थाओं को सहभागी के रूप में जोड़ने के लिए अधिकृत होगी।

समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार आवश्यक रूप से की जायेगी।

(नरेशपाल गंगवार) 13/4/15
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर।
8. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
9. यूनिसेफ, जयपुर।
10. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
11. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रामाशिप.) निदेशालय, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
12. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. जयपुर।
13. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
14. कार्यालय प्रति।

13/4/15
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

Pg/Email/1025/15
16.4.15

DD(Sec)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

RCSE

15/4/15

End. 2
Page 52, 53

क्रमांक:– राशिशेष/जय/SIQE/फा– 60703 /2015/11379 दिनांक: 15/04/2015

आदेश

राज्य के **समस्त** समन्वित राजकीय उमावि./माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10/12 तक संचालित) मे कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन (SIQE) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त एस.आई.ई.आर. टी., यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के मध्य एक** एम ओ यू **किया गया है।** एम ओ यू के तहत परियोजना की गतिविधियों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए राज्य **कार्यकारी समूह** का गठन किया जाता है। समूह में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर। – अध्यक्ष
2. उपनिदेशक,(क्वालिटी एवं प्रशिक्षण) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर। – सदस्य सचिव
3. उपनिदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। – सदस्य
4. मनोनीत प्रतिनिधि, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर। – सदस्य
5. प्रतिनिधि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर। – सदस्य
6. प्रतिनिधि, यूनिसेफ, जयपुर। – सदस्य
7. प्रतिनिधि, बोध शिक्षा समिति, कूकस, जयपुर। – सदस्य
8. अभिषेक/मैना साही, बी.सी.जी. – विशेष आमन्त्रित सदस्य

राज्यकार्यकारी समूह (State Working Group), परियोजना की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबन्धन परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) के निर्देशानुसार करेगा। राज्य कार्यकारी समूह –

- परियोजना के सभी सहभागी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना के क्रम में प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण एवं निर्णय लेने में परियोजना परिचालन समिति Programme Steering Committee को समर्थन देगा।
- राज्य परियोजना समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य कार्यकारी समूह का होगा।
- परियोजना हेतु पाठ्य सामग्री, अभिलेखों के प्रारूप, शिक्षण–प्रशिक्षण सामग्री आदि का राज्य शैक्षिक समूह की संस्तुति के आधार पर अनुमोदन कर परियोजना परिचालन समिति को प्रेषित करने हेतु अधिकृत होगा।
- परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आदेश एवं परिपत्र जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

- कार्ययोजना के अनुरूप त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

समूह के दायित्वों के आधार पर राज्य कार्यकारी समूह की बैठक आवश्कतानुसार आयोजित की जाती रहेगी परन्तु प्रत्येक 2 माह में एक बार आवश्यक रूप से समूह की औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी।

(नरेशपाल गंगवार)
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

प्रतिलिपि : **आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –**

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर।
8. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
9. यूनिसेफ, जयपुर।
10. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
11. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रामाशिप.) निदेशालय, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
12. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. जयपुर।
13. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
14. कार्यालय प्रति।

शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

Ps(Gopal)/1026/15 DD(Sec.) (57)
12.4.15
15.4.2015

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com

क्रमांकः– रामाशिप/जय/SIQE/फा– 60703 /2015/11380 दिनांकः 15/04/2015

आदेश

राज्य के **समस्त समन्वित राजकीय उमावि./माध्यमिक विद्यालयों** (कक्षा 1 से 10/12 तक संचालित) मे कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन (SIQE) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त एस आई ई आर.टी, यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के मध्य एक एम.ओ.यू** किया गया है। एम ओ यू के तहत परियोजना के शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों से सम्बन्धित निर्णय लेने के उद्देश्य से **राज्य शैक्षिक समूह (State Academic Group)** का गठन किया जाता है। समूह में निम्न सदस्य होगें :–

- निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर – अध्यक्ष
- उपनिदेशक, (प्रशिक्षण एवं क्वालिटी), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर – सदस्य सचिव
- यूनिसेफ – सदस्य
- निदेशक/प्रतिनिधि, बोध शिक्षा समिति – सदस्य
- मनोनीत सदस्य, जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान (2 सदस्य रोटेशन) – आमंत्रित सदस्य

राज्य शैक्षिक समूह समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी मुद्दो के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह समूह (SAG) –

- परियोजना से जुडे शैक्षिक एवं तकनीकी आयामों में नेतृत्व प्रदान करने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना के समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी दस्तावेज़ों को तैयार करने, प्रमाणित करने एवं परियोजना परिचालन समिति के अनुमोदन के लिए संस्तुति देने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्य सामग्री आदि का निर्माण, समीक्षा एवं अनुमोदन के पश्चात परियोजना परिचालन समिति को अग्रेषित करने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करने के लिए अधिकृत होगा तथा प्रगति एवं बदलावों के प्रमाण के रूप में दस्तावेज़, आंकड़े एवं रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- शिक्षक प्रशिक्षण मेन्युअल एवं व्यूह रचनाओं को तैयार कर अन्तिम रूप देने के लिये उत्तरदायी एवं अधिकृत होगा।
- शैक्षिक उन्नयन हेतु अन्य राज्यों एवं संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यो का अवलोकन कर परियोजना में गुणवत्तापूर्ण बदलाव करने हेतु सुझाव देने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के शोध कार्यों को तकनीकी रूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिए अधिकृत होगा।
- परियोजना से संबंधित समस्त आदेशों,परिपत्रो, दिशा–निर्देशों का अवलोकन कर उन्हें परियोजना के लक्ष्यों के अनुरूप आवश्यक शैक्षिक एवं तकनीकी पक्षों के आधार पर समीक्षा करने के लिए अधिकृत होगा।

- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा अभियान, निदेशालय या अन्य किसी सक्षम संस्था द्वारा परियोजना के संदर्भ में चाहे गए दस्तावेज़ों या अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अधिकृत होगा।
- शैक्षिक आगत–निर्गत (Inputs & Outputs) की समीक्षा करेगा।

राज्य शैक्षिक समूह की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार आयोजित की जाये।

(नरेशपाल गंगवार)
शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर।
8. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
9. यूनिसेफ, जयपुर।
10. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
11. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला।
12. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रामाशिप.) निदेशालय, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
13. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. जयपुर।
14. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
15. कार्यालय प्रति।

शासन सचिव (मा.शि.) एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

(10)

End. 4

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राज्य के समस्त समन्वित राजकीय उमावि/माध्यमिक विद्यालयो (कक्षा 1 से 10/12 तक सचालित) मे कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन (SIQE) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त एस.आई.ई.आर.टी, यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के माध्य एक एम ओ यू** किया गया है। एम ओ यू के तहत प्रत्येक जिले में परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए जिला कोर ग्रुप (DCG) का गठन किया जाता है। जिला स्तरीय कोर ग्रुप में निम्नांकित सदस्य होगें--

1. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (प्रथम) - अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा — सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय (उन जिलों पर लागू जहां दो जि.शि.अ. कार्यालय है) -- सदस्य
4. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) -- सदस्य
5. कार्यक्रम अधिकारी(प्रशिक्षण एवं क्वालिटी) रामाशिप — सदस्य
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप .— सदस्य सचिव

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक SIQE प्रोजेक्ट के जिला नोडल प्रभारी होगें।

जिला कोर ग्रुप (DCG)_ --

1. जिले में परियोजना की प्रत्येक गतिविधि का संचालन, प्रबोधन एवं समर्थन करेगा।
2. समन्वित विद्यालयों में (कक्षा 1 से 10 एवं 1 से 12) परियोजना के अन्तर्गत होने वाली समस्त गतिविधियों का समय पर आयोजन, अभिलेख संधारण, डेटा संकलन एवं रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करेगा।
3. शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं फील्ड विजिट के दौरान प्रशिक्षण का कक्षा कक्षों में अभ्यास सुनिश्चित करेगा।

जिला कोर ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह आवश्यक रूप से की जाये।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक -शिविरा/उनि/सशि/SIQE/DCG/2015&16 /03 दिनांक 16.04.2015

प्रतिलिपि. आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार जयपुर। 1
2. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप. जयपुर। 1
3. निजी सहायक, आयुक्त, राप्राशिप जयपुर। 1
4. निजी सहायक, निदेश, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 1
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त रामाशिप. जयपुर। 1
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप. जयपुर। 1
7. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर। 1
8. यूनिसेफ, जयपुर। 1
9. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर। 1
10. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिला। 33
11. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, समाज शिक्षा) निदेशालय, मा.शि. राजस्थान, बीकानेर। 1
13. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. जयपुर। 1
13. जि.शि.अ. मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला। 33
14. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप. समस्त जिला। 1
15. कार्यक्रम अधिकारी, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. समस्त जिला। 33
16. कार्यालय प्रति।

उप निदेशक एवं नोडल प्रभारी
(समाज शिक्षा)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

end (12)